

कार्यालय - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर

क्रमांक : 03

दिनांक : 29.01.2024


कार्यालय आदेश

मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) व 410(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह फरवरी 2024 एवं मार्च 2024 में अग्रवर्णित शासकीय अवकाशों में उदयपुर जिला मुख्यालय पर स्थित न्यायिक न्यायालयों से संबद्ध आरक्षी केन्द्रों से संबंधित आवश्यक दायित्व कार्य यथा अभियुक्तगण की रिमाण्ड अवधि बढ़ाने तथा जमानत प्रार्थना पत्र एवं अतिआवश्यक कार्य जैसे - मृत्यु कालीन कथन/इन्क्वेस्ट आदेश व अन्य (जिन्हें अधोहस्ताक्षरकर्ता तत्समय अतिआवश्यक प्रकृति का निर्धारित करें) का निस्तारण/सुनवाई करने के लिए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण को समय 10:00 ए.एम. से 12:00 पी.एम. के लिए अधिकृत करता हूँ :-

February 2024 Remand Duty			
1	04.02.2024	श्रीमती अंजली सिंह, Spl. J.M. (N.I.Cases) No.2, Udaipur	9560595669
2	10.02.2024	सुश्री शर्मा निर्मल जगमोहन A.C.J. & J.M. No.2 (South), Udaipur	7600684086
3	11.02.2024	सुश्री शर्मा निर्मल जगमोहन A.C.J. & J.M. No.2 (South), Udaipur	7600684086
4	18.02.2024	श्री भरत पूनिया, C.J. & J.M. (North), Udaipur	9829513525
5	24.02.2024	श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत Spl. J.M. (N.I.Cases) No.4, Udaipur	7610086088
6	25.02.2024	श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत Spl. J.M. (N.I.Cases) No.4, Udaipur	7610086088
March 2024 Remand duty			
1	03.03.2024	श्री पीयूष जैलिया, ACJM NO. 3 Udaipur	9166662040
2	08.03.2024	सुश्री साक्षी शर्मा, C.J. & JM. (South), Udaipur	8280130020
3	09.03.2024	सुश्री साक्षी शर्मा, C.J. & JM. (South), Udaipur	8280130020
4	10.03.2024	सुश्री साक्षी शर्मा, C.J. & JM. (South), Udaipur	8280130020
5	17.03.2024	श्रीमति रेखा चौधरी, Spl. J.M. (N.I.Cases) No.7, Udaipur	9116924785
6	23.03.2024	श्री अंकुश भदौरिया, ACJM NO. 2, Udaipur	9610094979
7	24.03.2024	श्री अंकुश भदौरिया, ACJM NO. 2, Udaipur	9610094979
8	25.03.2024	श्री अंकुश भदौरिया, ACJM NO. 2, Udaipur	9610094979
9	29.03.2024	श्री मंयक प्रताप सिंह, A.C.J. & J.M. No.1 (North), Udaipur	9462662588
10	31.03.2024	श्री पीयूष कुमार मेडतिया, A.C.J. & J.M. No.1 (South), Udaipur	7792006816

नोट : (1) उक्त वर्णित अवकाशों में जिला मुख्यालय, उदयपुर से बाहर के दंडाधिकारी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के पदस्थापन क्षेत्र में उपस्थित रहने पर उनकी क्षेत्राधिकारिता में आने वाले आरक्षी केन्द्रों से संबंधित उपर्युक्त आवश्यक कार्य उनके स्वयं के द्वारा ही किए जाएंगे तथा स्वयं की अनुपस्थिति में उपर्युक्त कार्य जिला मुख्यालय उदयपुर के दंडाधिकारी न्यायालयों हेतु अधिकृत उक्त वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किए जाएंगे। उक्त वर्णित अधिकारीगण अपने रिमाण्ड ड्यूटी दिवस पर बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे व न्यायालय समय पश्चात अपने आवास पर रहकर उपर्युक्त कार्य संपादित करेंगे।


(2) किसी भी राजकीय/स्थानीय अवकाश दिवस के पूर्व अथवा पश्चात कार्य दिवस को किन्हीं कारणों से अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में घोषित अवकाश दिवस हेतु रिमाण्ड ड्यूटी, घोषित अवकाश के निकटतम पूर्व/पश्चात अवकाश दिवस हेतु अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वहन की जाएगी।


 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 उदयपुर (राज.)

क्रमांक - स्थापना/2024/102-107
 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्न को जरिए ई-मेल प्रेषित है -

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक को अधीनस्थ थानाधिकारियों द्वारा उक्त निर्धारित समय पर रिमाण्ड आदि प्रस्तुत करवाए जाने हेतु।
3. समस्त अधीनस्थ दंडाधिकारी न्यायालय, उदयपुर।
4. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग को एपीपी की ड्यूटी की व्यवस्था हेतु।
5. श्री अमोल शांडिल्य, सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उदयपुर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. बार एसोसिएशन, उदयपुर

दिनांक : 29.01.2024


 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 उदयपुर (राज.)